न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 65/2020

अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. दलजीत सिंह, आयु 43 वर्ष
2. मनदीप सिंह,

} पुत्रगण श्री बिकर सिंहजाति जट सिख, निवासीगण चक 501–एल.एन.पी., अक्कांवाली, श्रीगंगानगर।

— वादीगण

बनाम

1. बिकर सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह, जाति जट सिख, आयु करीब 82 वर्ष, निवासी चक 501–एल.एन.पी., अक्कांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. छिन्द्रपाल कौर पुत्री श्री बिकर सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, जाति जट सिख, आयु करीब 49 वर्ष, निवासी मलकाना खुर्द, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता राजवीरसिंह (वादीगण)
अधिवक्ता सीताराम सुथार (प्रतिवादी–1, 2)
पैरोकार राज (प्रति.–3)

दिनांक 17.02.2021

–:: निर्णय ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2, वादीगण की बहन है। वादीगण के परदादा स्व० श्री नारायण सिंह पुत्र स्व0 श्री आत्मा सिंह के नाम से चक 501–एल.एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खसरा संख्या 417, 447 व 450 में कृषि भूमि दर्ज कागजात राज थी। खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न वाद पत्र हैं। वादीगण के परदादा स्व० श्री नारायण सिंह का अपने पुत्रों निरंजन सिंह, विचित्र सिंह (वादीगण के दादा) व जंगीर सिंह के साथ संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार द्वारा परिवार के सदस्यों के नाम से सम्पत्ति अर्जित की गयी जिसके चलते संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति वादीगण के दादा स्व0 श्री विचित्र सिंह तथा उसके भाईयों निरंजन सिंह व जंगीर सिंह के नाम दर्ज कागजात राज होती रही। वादीगण की वंशावली निम्न प्रकार है: यह कि इस प्रकार वादीगण के दादा स्व० श्री विचित्र सिंह को संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति में से चक 501–एल.एन.पी. के खाता संख्या 10 के मुरब्बा नम्बर 8, 9, 12, 13, 14, 30, 31, 52, 53 की कुल 9.864 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 0.506 हैक्टेयर कृषि भूमि, खाता संख्या 36 के मुरब्बा नम्बर 7, 11, 12, 16, 17, 18, 48, 49, 53

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

की 10.281 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा खाता संख्या 54 के मुरब्बा नम्बर 8, 11, 12, 16, 17, 18, 30, 48, 53 की कुल 5.817 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 0.354 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई थी। खाता संख्या 10, 36 व 54 की जमाबन्दियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न वाद पत्र हैं। इसी अनुसरण में संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति में से वादीगण के पिता बिकर सिंह व उसके भाईयों हरदेव सिंह, बलदेव सिंह, तेजा सिंह के नाम भी खाता संख्या 54 में बहिस्सा बराबर 1.201 हैक्टेयर कृषि भूमि बंटवारा में दर्ज कागजात राज हुई। इस सम्बन्ध में बंटवारा का इन्तकाल संख्या 216 दर्ज किया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। वादीगण के दादा विचित्र सिंह की मृत्यु उपरान्त उसके नाम दर्ज चक 501–एल.एन.पी. के खाता संख्या 10, 36 व 54 की उक्त कृषि भूमि विरासतन वादीगण के पिता बिकर सिंह व उसके भाईयों के नाम दर्ज कागजात राज हुई। इस सम्बन्ध में विरासतन व दस्तबरदारी का इन्तकाल संख्या 268 दर्ज किया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। इस प्रकार वादीगण के पिता बिकर सिंह को अपने पूर्वजों से विरासत में पैतृक व जद्दी कृषि भूमि प्राप्त हुई। इसके उपरान्त वर्ष 2010 में वादीगण के पिता बिकर सिंह ने अपनी कृषि भूमि का बंटवारा अपने भाईयों बलदेव सिंह वगैरह के साथ कर लिया। इस सम्बन्ध में इन्तकाल संख्या 407 दर्ज किया गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। बंटवारा उपरान्त वादीगण के पिता बिकर सिंह को चक 501–एल.एन.पी. के खाता संख्या 55/51, मुरब्बा नम्बर 7 (0.708 हैक्टेयर), मुरब्बा नम्बर 12 (0.177 हैक्टेयर) व मुरब्बा नम्बर 51 (3.858 हैक्टेयर), कुल 4.743 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बिकर सिंह के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक व जद्दी (Co-parcenary) आराजी हुई जिसमें परिवार के सभी ब्व–चंतबमदमत का जन्म से ही बराबर–बराबर हक व हिस्सा निहित है। वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 बिकर सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार है: –

चक 501–एल.एन.पी. खाता संख्या 55/51 का मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 12, 13, 14/2, 19/2, कुल 0.708 हैक्टेयर मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11/2, 12/2, कुल 0.177 हैक्टेयर मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, कुल 3.858 हैक्टेयर कुल रकबा: 4.743 हैक्टेयर (0.708 हैक्टेयर बारानी एवं 4.035 हैक्टेयर नहरी) इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 बिकर सिंह के नाम से चक 501–एल.एन.पी. के उक्त खाता में कुल 4.743 हैक्टेयर कृषि भूमि है तथा वादीगण का उक्त आराजी पर अरसा दराज से कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज उक्त 4.743 हैक्टेयर आराजी जद्दी–जायदाद होने से वादीगण का इसमें जन्म से हक व हिस्सा बनता है। यह कि प्रतिवादी संख्या 2 की शादी उक्त जद्दी–जायदाद की आय से की गयी तथा शादी के बाद भी समय–समय पर इस सम्पत्ति की आय से उसे काफी सामान उपहार स्वरूप दिया जाता रहा है। वादीगण की बहन प्रतिवादी संख्या 2 अपने परिवार में खुश व आबाद है तथा उसने अपनी स्वेच्छा से

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली

Scanned with CamScanner

अपना हक व हिस्सा वादीगण के हक में परित्याग किया हुआ है। वर्तमान में उक्त आराजी को वादीगण ही काश्त करते हैं व लगान अदा करते आ रहे हैं। वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के विधि अनुसार अधिकारी हैं। वादीगण संयुक्त परिवार की उक्त जद्दी आराजी को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं व आय अर्जित करते रहे हैं। वादीगण की बहन प्रतिवादी संख्या 2 छिन्द्रपाल कौर के द्वारा अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर देने तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए उक्त जद्दी आराजी में से अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर देने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने संयुक्त परिवार में आपसी सद्भावना व प्रेम बनाये रखने के लिए आपस में मिल बैठ कर पारिवारिक समझौता (Family settlement) कर लिया ताकि परिवार में आगे प्रेम व सद्भावना बनी रहे। इस अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 1 ने मौखिक रूप से पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा कर समस्त कृषि भूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर दे दी है। इस बंटवारा के अनुसार निम्न रकबा वादीगण के हिस्सा में आया जिस पर वादीगण बहिस्सा बराबर–बराबर अरसा दराज से काबिज चले आ रहे हैं। मौखिक पारिवारिक बंटवारा के अनुसार वादीगण के हिस्सा में आई आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है:–

(अ) चक 501–एल.एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 12, 13, 14/2, 19/2, कुल 0.708 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11/2, 12/2, कुल 0.177 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, कुल 3.858 हैक्टेयर। इस प्रकार कुल रकबा: 4.743 हैक्टेयर (0.708 हैक्टेयर बारानी एवं 4.035 हैक्टेयर नहरी) वादीगण मौखिक बंटवारा अनुसार उक्त कृषि भूमि को अपने नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

अब प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण के कब्जा काश्त की उक्त आराजी, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जद्दी–जायदाद होना मान कर बंटवारा में वादीगण को दी हुई है, से वादीगण को जबरन बेदखल करने की कोशिश कर रहा है और उनके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप कर रहा है। अतः वादीगण के लिए अपने अधिकारों की घोषणा करवाना व आराजी का बंटवारा वाद पत्र की मद संख्या 6 के अनुसार करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाना आवश्यक हो गया है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से बार–बार आग्रह किया कि उसके नाम से दर्ज वाद पत्र की मद संख्या 6 में अंकित चक 501–एल.एन.पी. की आराजी जद्दी–जायदाद होने, वादीगण के परदादा व दादा से मिली हुई होने के कारण वाद पत्र की मद संख्या 6 के अनुसार पारिवारिक समझौता/बंटवारा किया हुआ होने के कारण (जो कि पूर्व में मौखिक रूप से किया गया था), वाद पत्र की मद संख्या 6 में अंकित भूमि को वादीगण के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये व वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

करने से निषेधित व अवरुद्ध रहे, मगर प्रतिवादी संख्या 1 टाल–मटोल करते हुए दिनांक 10.07.2020 को साफ इन्कार हो गया। यही वाद कारण है।

अतः वाद पत्र वादीगण पेश करके निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार करके उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद, आपसी सद्भाव व प्रेम को बनाये रखने के लिए जद्दी–जायदाद के सम्बन्ध में किये गये मौखिक पारिवारिक समझौता/बंटवारानामा को मान्यता प्रदान करते हुए वाद पत्र की मद संख्या 6 में अंकित/दर्ज भूमि वादीगण दलजीत सिंह व मनदीप सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज करने, मामला लगान कायम करने का आदेश दिया जावे। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे। अन्य अनुतोष जो कि वादीगण के हक में हो, वह भी प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 04.08.2020 को जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पैतृक सम्पत्ति में से अपना–अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग किया हुआ है। इस मद में दर्ज यह कथन सही है कि संयुक्त परिवार में सद्भावना व प्रेम बनाये रखने के लिए आपस में मिल–बैठ कर पारिवारिक समझौता (Family Settlement) कर लिया गया था। इसी पारिवारिक समझौता के अनुसार इस मद में दर्ज आराजी पर वादीगण बहिस्सा बराबर अरसा दराज से काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को कभी भी उनका हक व हिस्सा देने से इन्कार नहीं किया। केवल मुगालता हो जाने के कारण ही इन्कारी की गयी थी, अन्यथा प्रतिवादी संख्या 1 पारिवारिक समझौता अनुसार आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज करवाने के लिए सदैव तैयार रहा है एवं आज भी तैयार है। वादीगण द्वारा दावा में चाहे गये अनुतोष से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। यदि वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार वाद पत्र डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 इससे पूर्णतः सहमत है।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 04.08.2020 को जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पैतृक सम्पत्ति में से अपना–अपना समस्त हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग किया हुआ है। इस मद में दर्ज यह कथन सही है कि संयक्त परिवार में सद्भावना व प्रेम बनाये रखने के लिए आपस में मिल–बैठ कर पारिवारिक समझौता (Family Settlement) कर लिया गया था। इसी पारिवारिक समझौता के अनुसार इस मद में दर्ज आराजी पर वादीगण बहिस्सा बराबर अरसा दराज से काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण द्वारा दावा में चाहे गये अनुतोष से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। यदि वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार वाद पत्र डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 इससे पूर्णतः सहमत है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी प्रकरण में पक्षकारान का आपस में

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

राजीनामा हो गया है। चूंकि पक्षकारान एक ही खानदान के व पारिवारिक सदस्य हैं तथा पंचायत द्वारा पक्षकारान के मध्य राजीनामा करवा दिया गया है। पक्षकारान के मध्य पूर्व में भी, पारिवारिक समझौता के द्वारा पैतृक सम्पत्ति का घरू बंटावरा किया गया था व उसी अनुसार आज तक वादीगण अपने हिस्से में आये रकबे पर काबिज चले आ रहे हैं जिसको गजात राज में अमल दरामद करवाने के लिए उक्त अनवानी दावा वादीगण द्वारा दायर किया गया था जिसमें द्वितीय पक्ष/प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जवाब दावा पेश किया गया है। हम पक्षकारान पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष, पंचायत में हुए राजीनामा अनुसार लिखित में राजीनामा पेश कर रहे हैं। राजीनामा अनुसार प्रथम पक्ष/वादीगण दलजीत सिंह एवं मनदीप सिंह के हिस्से में बहिस्सा बराबर–बराबर आये रकबे का विवरण निम्न प्रकार है:

चक 501–एल.एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 12, 13, 14/2, 19/2, कुल 0.708 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11/2, 12/2, कुल 0.177 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, कुल 3.858 हैक्टेयर।

इस प्रकार कुल रकबा: 4.743 हैक्टेयर (0.708 हैक्टेयर बारानी एवं 4.035 हैक्टेयर नहरी)

प्रथम पक्ष/वादीगण संयुक्त परिवार की उक्त जद्दी आराजी को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं व आय अर्जित करते रहे हैं। प्रथम पक्ष/वादीगण की बहन द्वितीय पक्ष/प्रतिवादी संख्या 2 छिन्द्रपाल कौर के द्वारा अपना हक व हिस्सा प्रथम पक्ष/वादीगण के पक्ष में परित्याग कर देने तथा द्वितीय पक्ष/प्रतिवादी संख्या 1 बिकर सिंह द्वारा भी अपनी उम्र हाको ध्यान में रखते हुए उक्त जद्दी आराजी में से अपना हक व .०६ हिस्सा प्रथम पक्ष/वादीगण के पक्ष में परित्याग कर देने के ।त्ल उपरान्त प्रथम पक्ष/वादीगण एवं द्वितीय पक्ष/प्रतिवादी संख्या 1 दक ने संयुक्त परिवार में आपसी सद्भावना व प्रेम बनाये रखने के लिए आपस में मिल बैठ कर पारिवारिक समझौता (थ्ंउपसल र`मजजसमउमदज) कर लिया ताकि परिवार में आगे प्रेम व सद्भावना बनी रहे। इस अनुसरण में द्वितीय पक्ष/प्रतिवादी संख्या 1 ने मौखिक रूप से पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा कर समस्त कृषि भूमि प्रथम पक्ष/वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर दे दी थी। उक्त बंटवारा से सभी पक्षकारान पूर्णतः सहमत व रज़ामन्द हैं। यह कि प्रथम पक्ष/वादीगण के हिस्सा व कब्जा में उपरोक्तानुसार रकबा आया है जिस पर वे अरसा दराज से काबिज चले आ रहे हैं। राजीनामा की रूह से उपरोक्तानुसार प्रथम पक्ष/वादीगण दलजीत सिंह व मनदीप सिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में रकबा अमल दरामद कर दिया जाये जिससे प्रथम पक्ष/वादीगण व द्वितीय पक्ष/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पूर्णतः सहमत हैं। लिहाजा यह राजीनामा पक्षकारान ने अपनी खुशी व रजामन्दी से बिना किसी दबाव व नशा–पत्ता किये लिख दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 501 एलएनपी, पटवार हल्का बख्तावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 55/51, जमाबंदी खसरा गिरदावरी ग्राम 501 एलएनपी श्रीगंगानगर खाता संख्या 417, जमाबंदी खसरा गिरदावरी ग्राम 501 एलएनपी श्रीगंगानगर खाता संख्या 446, जमाबंदी खसरा गिरदावरी ग्राम 501 एलएनपी श्रीगंगानगर खाता संख्या 450, जमाबंदी सम्वत् 2057 ग्राम 501 एलएनपी पटवार हल्का बखतावाली 19 एमएल, श्रीगंगानगर खाता संख्या 10/12, जमाबंदी सम्वत् 2057 ग्राम 501 एलएनपी पटवार हल्का बखतावाली 19 एमएल, श्रीगंगानगर खाता संख्या 36/35, जमाबंदी सम्वत् 2057 ग्राम 501 एलएनपी पटवार हल्का बखतावाली 19 एमएल, श्रीगंगानगर खाता संख्या 36/35, जमाबंदी सम्वत् 2057 ग्राम 501 एलएनपी पटवार हल्का बखतावाली 19 एमएल, श्रीगंगानगर खाता संख्या 54/26, वादीगण द्वारा अपने दादा विचित्र सिंह से से प्रतिवादी संख्या 1 विकरसिंह के नाम विरासतन इन्ताकल जमाबंदी ग्राम 501 एलएनपी पटवार हल्का 13 एमएल, भू.अ.नि. नेतेवाला श्रीगंगानगर, जमाबंदी सम्वत् 2057 ग्राम 501 एलएनपी पटवार हल्का बखतावाली 19 एमएल, श्रीगंगानगर खाता संख्या 268/10, जमाबंदी सम्वत् 2057 ग्राम 501 एलएनपी पटवार हल्का बखतावाली, श्रीगंगानगर खाता संख्या 407/11, जमाबंदी सम्वत् 2057 ग्राम 501 एलएनपी पटवार हल्का बखतावाली, श्रीगंगानगर खाता संख्या 407/19, जमाबंदी सम्वत् 2057 ग्राम 501 एलएनपी पटवार हल्का बखतावाली, श्रीगंगानगर खाता संख्या 407/68, जमाबंदी सम्वत् 2057 ग्राम 501 एलएनपी पटवार हल्का बखतावाली, श्रीगंगानगर खाता संख्या 407/43, जमाबंदी सम्वत् 2057 ग्राम 501 एलएनपी पटवार हल्का बखतावाली, श्रीगंगानगर खाता संख्या 434/59, जमाबंदी सम्वत् 2057 ग्राम 501 एलएनपी पटवार हल्का बखतावाली, श्रीगंगानगर खाता संख्या 407/7 की प्रमाणित फोटो प्रतियां पेश की। उक्त दस्तावेजात, जमाबंदीयों एवम् विरासतन इंतकाल के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

–:: आदेश ::–

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात, जमाबंदीयों एवम् विरासतन इंतकाल के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होने पर वाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा पारिवारिक सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

[illegible] अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण दलजीत सिंह एवं मनदीप सिंह को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण दलजीत सिंह एवं मनदीप सिंह के हिस्सा में आये रकबे का विवरण निम्न प्रकार है:– चक 501–एल.एन.पी., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 12, 13, 14/2, 19/2, कुल 0.708 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 11/2, 12/2, कुल 0.177 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, कुल 3.858 हैक्टेयर। इस प्रकार कुल रकबाः 4.743 हैक्टेयर (0.708 हैक्टेयर बारानी एवं 4.035 हैक्टेयर नहरी)।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर वाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17.02.2021 को जारी किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष को बुलाकर सुनाया गया।

26.02.21.

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner